भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 83

सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

ऋण का बढ़ता बोझ

83. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को अत्यधिक और अविवेकपूर्ण तरीके से निःशुल्क दी गई सुविधाओं के कारण कुछ राज्यों में ऋण के बढ़ते बोझ और बिगड़ती राजकोषीय स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जनता और राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए इन राज्यों के वित्त में राजकोषीय विवेक लाने का प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की 'राज्य वित्तः वर्ष 2023-24 के बजटों का एक अध्ययन' शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 2022, मार्च, 2023 (सं.प्रा.), मार्च, 2024 (ब.प्रा.) के अंत में राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताओं का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक राज्य के लेखाओं से संबंधित राज्य वित्त लेखा रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं जिसे राज्य के विधान मंडल के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ऋण की स्थिति सहित राज्य की वित्तीय स्थिति शामिल होती है।

सभी राज्यों ने अपनी वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम को अधिनियमित कर लिया है। राज्य एफआरबीएम अधिनियम के अनुपालन की निगरानी संबंधित राज्य विधान मंडलों द्वारा की जाती है। सामान्य रूप से, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत उधारियों को अनुमोदित करने की शक्तियों का प्रयोग करते समय वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशों द्वारा अधिदेशित वित्तीय सीमाओं का अनुसरण करता है। पिछले वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा अधिक उधारियों का समायोजन, यदि कोई हो, बाद के वर्षों की उधारी की सीमाओं में किया जाता है।

****

दिनांक 22.07.2024 के लोक सभा के लिखित प्रश्न संख्या (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित **अनुबंध-I**

मार्च, 2022, मार्च, 2023 (सं.प्रा.), मार्च, 2024 (ब.प्रा.) के अंत में राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताओं का

राज्य-वार ब्यौरा

राज्य सरकारों की कुल बकाया देयताएं			
			(करोड़ रु. में)
राज्य/यूटी	**2022**	**2023 (सं.प्रा.)**	**2024 (ब.प्रा.)**
1. आंध्र प्रदेश	3,80,548.50	4,28,715.70	4,85,490.80
2. अरुणाचल प्रदेश	15,924.60	18,850.40	21,654.20
3. असम	1,02,366.30	1,26,281.40	1,50,900.40
4. बिहार	2,57,634.70	2,93,850.50	3,19,618.30
5. छत्तीसगढ़	1,06,451.10	1,09,664.10	1,22,164.10
6. गोवा	29,209.20	30,743.20	34,758.40
7. गुजरात	3,88,582.80	4,21,018.20	4,67,464.40
8. हरियाणा	2,79,453.30	3,05,586.90	3,36,253.00
9. हिमाचल प्रदेश	73,541.40	86,639.20	94,992.20
10. झारखंड	1,13,568.10	1,18,855.50	1,31,455.60
11. कर्नाटक	5,03,987.70	5,35,408.10	5,97,618.40
12. केरल	3,60,036.90	3,89,312.30	4,29,270.60
13. मध्य प्रदेश	3,25,193.00	3,65,624.40	4,18,056.00
14. महाराष्ट्र	6,06,407.10	6,53,197.00	7,22,887.30
15. मणिपुर	15,334.00	17,376.40	19,245.80
16. मेघालय	16,927.60	18,845.10	20,029.90
17. मिजोरम	10,953.70	12,880.00	14,039.30
18. नगालैंड	15,834.50	17,085.20	18,165.80
19. ओडिशा	1,39,002.40	1,29,872.90	1,20,986.90
20. पंजाब	2,84,923.20	3,16,346.10	3,51,130.20
21. राजस्थान	4,63,832.80	4,99,529.00	5,62,494.90
22. सिक्किम	11,482.20	13,331.40	15,529.50
23. तमिलनाडु	6,67,974.90	7,41,497.70	8,34,543.50
24. तेलंगाना	3,14,852.90	3,52,061.00	3,89,672.50
25. त्रिपुरा	22,438.60	23,360.50	26,505.80
26. उत्तर प्रदेश	6,46,321.30	6,93,577.10	7,69,245.30
27. उत्तराखंड	78,952.10	80,120.40	89,466.00
28. पश्चिम बंगाल	5,48,235.90	5,96,725.20	6,58,426.20
कुल	**67,79,970.80**	**73,96,354.90**	**82,22,065.30**
स्रोत: आरबीआई की रिपोर्ट 'राज्य वित्त: वर्ष 2023-24 के बजटों का एक अध्ययन'			

****